

संख्या
दिनांक

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 12.01.2026 में दिये गये निर्देश जोकि मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर दिनांक 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को निगोशिऐबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, के क्रम में मा० कुलपति महोदया के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त महाविद्यालयों में लिखित/मौखिक/प्रायोगिक परीक्षाएं तथा अन्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यथावत् सम्पादित किये जायेंगे।

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव

98-424-99

संख्या-..... दिनांक-12/01/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/इंचार्ज, ल०वि०।
4. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (जनपद-लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई)
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल०वि०।
6. वित्त अधिकारी, ल०वि०।
7. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०।
8. कुलानुशासक, ल०वि०।
9. निदेशक, द्वितीय परिसर, ल०वि०।
10. निदेशक, आई०पी०पी०आर०, ल०वि०।
11. अधीक्षक, भूमि एवं उद्यान, ल०वि०।
12. समस्त, उपकुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
13. समस्त सहायक कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14. अध्यक्ष, महामंत्री लूटा।
15. अध्यक्ष, महामंत्री, लुआक्टा।
16. अध्यक्ष, महामंत्री, कर्मचारी परिषद्, ल०वि०।
17. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने कष्ट करें।
18. कार्यालय प्रति।

Bmisra
कुलसचिव